राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर

बीमा भवन जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर–302016

क्रमांक–एफ 4/सा.प्र./फर्नीचर क्रय/2021–22/4027 दिनांक 17.2.2022

सीमित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर, में फर्नीचर क्रय की आवश्यकता है। इस हेतु राजस्थान में स्थित उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से दरें आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म / कम्पनी /संस्था निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 23/2/2022 दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (http.sppp.raj.nic.in) एवं विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर, कार्यालय समय में दिनांक 23/2/2022 को दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक 23/2/22 को सायं 3.00 बजे खोला जाऐगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

17/2/2022

संयुक्त निदेशक (सा.प्र.)
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग
राज.जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर-302016

क्रमांक-एफ 4/सा.प्र./फर्नीचर क्रय/2021-22/ 4027 दिनांक 17.2.2022

1. M/s Anil Metal
   Gandhi Colony Getore Road,
   Brahampuri, Jaipur
2. M/s Rasmi Enterprises
   16, Shiva colony-II, Ramnagar,
   Sodala, Jaipur
3. M/s shree Modular Kitchen & Furnitures
   56-57, JDA Shopping Center,
   Murlipura, Jaipur
4. Notice Board

विषयः- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर के उपयोग हेतु फर्नीचर क्रय करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय में निम्न विवरणानुसार फर्नीचर क्रय हेतु दरें समस्त कर/खर्च के आमंत्रित की जाती है। प्राप्त दरें वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होंगी।

क्र. सं.	फर्नीचर का विवरण	क्रय की संभावित मात्रा	अनुमानित लागत
1.	High Back Chair	01 नग	1.80 लाख
2.	Midback Chair	01 नग	
3.	Visitor chair	15 नग	
4.	Executive Table	01 नग	
5.	Computer Table	01 नग	
6.	Side Table	01 नग	

अतः उक्त प्रकार से **फर्नीचर क्रय** हेतु अपनी दरें फर्म के लेटर हैड में बन्द लिफाफे में दिनाक 23/2/2022 को अपरान्ह 2.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर "**फर्नीचर क्रय** हेतु निविदा" लिखा होना चाहिये। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नोटः-उक्त कार्य के बिलों का भुगतान संबंधित फर्म के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

17/2/2022

संयुक्त निदेशक (सा0प्र0)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राज0,जयपुर

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर

बीमा भवन जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर–302016

विषयः– फर्नीचर क्रय करने का निविदा प्रपत्र।

1. नाम फर्म /कम्पनी /संस्था–..

पता :–..

मोबाईल नं. :–..

पैन न :–..

फर्म का रजि. न :–..

GST न :–..

1. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

2. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय, जयपुर में फर्नीचर, आपूर्ति हेतु दरें दी जानी है।

क्र. सं.	फर्नीचर का विवरण / स्पेसिफिकेशन	क्रय की संभावित मात्रा	अनुमानित फर्नीचर की लागत	प्रति नग दर समस्त कर सहित(अंकों एवं शब्दों)
1	**High Back Chair** Supply of executive high back chair having net back with push back mechanism, adjustable arms and lumber supportand gas lift system as per sample approved by the client. supplier should have MSME UDYAM registration cerficate and ISO 9001:2015 and Green guard certificate.	01 नग	1.80 लाख	
2	**Midback Chair** Supply of medium back revolving chair with net back and coushined seat, chair having soft adjustable handle with gas lift hydrolic system with tilting mechanism and lumber support as per sample approved by client.supplier should have MSME UDYAM registration cerficate and ISO 9001:2015 and Green guard certificate.	01 नग		

3/6

3	**Visitor chair** Supply of visitor fix type chair, chair frame made of 25mm dia crome pipe with 40mm coushined seat and back as per sample approved by the client. supplier should have MSME UDYAM registration cerficate and ISO 9001:2015 and Green guard certificate.	**15 नग**		
4	**Executive Table** Supplhy of exective table size 1800x900x750mm, table top made of 25 mm thick MDF board pasted 1mm mica on it. Side and rear panels are also made of 18mm thick mdf board, 1 mm mica pasted on it as well. With 1-2 mm thick pvc bidding also pasted on the all around the coreners of the table. Table is having 3 drawer movable padestal unit size 380x450x725 mm with all lock and key and other required hardware, and a side unit size 900 x450 x600mm with one shelf and two openable palha or sliding door (which ever is requried). supplier should have MSME UDYAM registration cerficate and ISO 9001:2015 and Green guard certificate.Table will be made as per design /sample approved by the client department	**01 नग**		
5	**Computer Table** Supply of computer table size 1600x 750mm with 3 drawer, table strucuter and top made of 25mm preleminated particle board, rear and side panels are also made of 18mm preleminated particle board with 1mm thick pvc bidding pasted all around the edges of the table, the drawer will have lock and key with sliding channels,as per sample approved by the client.supplier should have MSME UDYAM registration cerficate and ISO 9001:2015 and Green guard certificate.	**01 नग**		
6	**Side Table** Supply of side table size 900x750x450mm with one shelf and openable or sliding doors. Table is made of 18mm thick preleminated particle board as per design/sample approved by client.supplier should have MSME UDYAM registration cerficate and ISO 9001:2015 and Green guard certificate.	**01 नग**		

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,राजस्थान जयपुर

बीमा भवन जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर–302016

फर्नीचर, क्रय करने की सामान्य शर्ते

1. समस्त निविदायें सीलबन्द लिफाफे में निविदा सूचना के निर्देशानुसार निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयसिह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर के पते पर भिजवायें।
2. निविदा प्रपत्र में दी गयी दर किसी भी परिस्थितियों में बदली नही जावे। दरों का इन्द्राज अकों के साथ –साथ शब्दों में किया जावे। कटिंग होने की स्थिति में उस पर लघु हस्ताक्षर के साथ दिनांक अंकित करना आवश्यक है।
3. आप द्वारा प्रस्तुत दरें वित्तीय वर्ष 2021–22 तक के लिए मान्य होंगी।
4. सफल निविदादाता द्वारा फर्नीचर आपूर्ति का कार्य किसी अन्य एजेंसी/फर्म को नहीं सौपेगा या उपभाड़े (सब्लेट) पर फर्नीचर आपूर्ति नहीं देगा।
5. फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की वारंटी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी। फर्नीचर खराब होने पर स्वय के खर्चे पर ठीक करना होगा। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की अलग से राशि देय नहीं होगी।
6. आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की जॉच उपापन समिति प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन/नमूने के अनुसार कराई जायेगी।
7. आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर का नमूना विभाग को प्रस्तुत करना होंगा।
8. फर्म को स्पेसिफिकेशन /नमूने के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति करनी होगी। स्पेसिफिकेशन /नमूने के अनुसार फर्नीचर की आपूर्ति करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
9. निविदा केवल उन्हीं फर्मो/ व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये जो उन वस्तुओं के लिए रजिस्टर्ड या अनुमोदित वितरक हो या उनके द्वारा दिया जाना चाहिये जो वास्तव में उस सामान को बेचते /तैयार करते हो, सप्लायर हो जिसके लिये निविदा दी गई है।
10. निविदा देने वाली फर्म को निविदा की शर्ते भली भॉति पढ लेना चाहिये, यदि इसमें कोई संदेह हो तो इस कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग कमरा न0 11 से सम्पर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें।
11. फर्नीचर की आपूर्ति स्फेशिफिकेशन/नमूने के अनुसार नही होने पर अनुबंध/आदेश किसी भी समय भंग किया जा सकता है।
12. निविदा स्याही से भरनी चाहिये। पेंसिल या अन्य वस्तुओं से भरे गये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. निविदा देने वाले को प्रपत्र के हर पृष्ठ/ पन्ने के अन्त में निविदा एवं अनुबध की समस्त शर्तो को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिये ।
14. सरकार किसी भी निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। यह आवश्यक नही कि वह निम्न दर निविदा को ही स्वीकार करें । वह किसी भी निविदा को उसके कारणो को बताये बिना अस्वीकार/रदद कर सकती है । निविदादाता द्वारा आमंत्रित की गई मात्रा या वस्तुओं/कार्यो में से सरकार के निर्णयानुसार उन सम्पूर्ण या आंशिक वस्तुओं या मात्रा /कार्य के लिए आदेश दिये जा सकते है।
15. किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक /अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
16. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार 0.5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी।
17. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 76 के अनुसार निर्धारित 15 दिवस में 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार पत्र का निष्पादन करना होगा।

18. फर्नीचर की आपूर्ति आदेशानुसार दिये गये समय के अनुसार करनी पड़ेगी। समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने कि स्थिति में नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि काटी जायेगी इसके लिए विभाग जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. राजस्थान लोग उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे जिसमें निहित शर्तो की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी ।
20. फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 23.2.22 दोपहर 2.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

17/2/2022

संयुक्त निदेशक (सा.प्र.)
राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग
राज.जयपुर

मैं /हम निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या 4027 वर्ष 2021-22 दिनांक 17.2.22 में वर्णित सभी शर्तो को भली भाँति पढ़ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना करने के लिए सहमत है एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर